

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/5252...../

जबलपुर, दिनांक 31/08/2023

II-13-44/23

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019 के आलोक में श्री शोभाराम, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को उनकी सेवानिवृत्त दिनांक 30/06/2023 पर पात्रता अनुसार 232 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही/-
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

क्रमांक A/5253...../

जबलपुर, दिनांक 31/08/2023


II-13-44/23

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 3240/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 01/08/2023 के संदर्भ में श्री शोभाराम, सेवानिवृत्त अशर का आवेदन पत्र, गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :-अवकाश लेखा।

2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)